


तारीख
दस्तावेज

7
16/24

पत्रावली पैग। वकील शर्मा हाजिर।
तहसीलदार दांगारामगढ से रिपोर्ट प्राप्त।
शा० मिसाल रहे। बहस वकील शर्मा
सुनी गयी। सुनी गयी बहस में वकील शर्मा
ने निवेदन किया कि शर्मा का नाम
श्रवण सिंह पुत्र भवरसिंह के स्थान पर
सायर सिंह पुत्र भवरसिंह संशोधित कर
रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। मैंने सुनी गयी
बहस पर मनन किया व पत्रावली में
उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार दांगारामगढ
रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट
है कि शर्मा का नाम श्रवण सिंह पुत्र
भवर सिंह के स्थान पर श्रवण सिंह उर्फ
सायर सिंह पुत्र भवर सिंह किया जाना
उचित है। अतः तहसीलदार दांगारामगढ को
आदेशित किया जाता है कि वही ग्राम
सुलियावास प०ठ० सुलियावास न० दांगारामगढ
की भूमि खं.नं. 751, 752, 755, 756, 760
में शर्मा का नाम श्रवण सिंह पुत्र भवरसिंह
के स्थान पर श्रवणसिंह उर्फ सायरसिंह पुत्र
भवरसिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
करने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त आदेश
में शर्मा द्वारा न्यायालय सहायक क्लर्क (FA)
दांगारामगढ द्वारा लगे स्थगन में बिधिलता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारी अहकाय जो इस की तारीख में जा
	<p>प्राप्त करने के बाद ही कार्यवाही की जावे। पत्रावली फँसल शुमार लेकर नम्बर से कम लेकर हरिबल दफतर ले।</p> <p style="text-align: right;"></p>	